o/c

भारत सरकार
कार्यालय अपर महानिदेशक (क्षेत्र – भोपाल)
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
भूतल, निर्माण सदन, 52–ए, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462011 (म.प्र.)
दूरभाष 0755-2551636, 2988393 ई–मैल : adgwr2cpwd-mp@nic.in

सं. 59(5)(IV)/अमनि(क्षे.भो)/1894-दि. दिनांकः 23/09/2021

कार्यालय आदेश – 56 (श्रेणी– IV, बिल्डिंग एवं रोड वर्ग)
OFFICE ORDER - 56 (Class - IV , Buildings & Roads Category)

प्रस्तुत किए गए आवेदन कें संदर्भ मे, अपर महानिदेशक, भोपाल क्षेत्र, के.लो.नि.वि. भोपाल निम्नलिखित फर्म/ठेकेदारों को इस विभाग के **श्रेणी–IV, बिल्डिंग एवं रोड वर्ग**, में 01.01.2022 से 5(पॉच) वर्ष की अवधि के लिये पुन : वैधीकरण करते हैं। यह फर्म / ठेकेदारों संपूर्ण भारत में रू. 130.00 लाख तक की निविदा सीमा तक के.लो.नि.वि. में उपरोक्त वर्ग के कार्यो के लिए या सूचीबद्धता नियम 2021 में समय–समय पर किए गये संशोधनों में निर्धारित की गई सीमा तक के पात्र होगें किन्तु इसके बाबजूद भी निविदा देने की निर्धारित / संशोधित सीमा में परिवर्तन के विभाग के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ेगा।

With reference to their application , Additional Director General, Bhopal Region, CPWD, Bhopal is pleased to re-validate the following firms / contractors in **Class -IV , Category – Buildings & Roads** of this department for a period of **5(Five) years w.e.f 01.01.2022**. The firm shall be eligible to tender for CPWD works in the above category in all over India up to the **tendering limit of Rs. 130.00 Lakhs (Rupees One hundred Thirty lakhs only)** or as modified by further amendments thereof made from time to time in the Enlistment Rules 2021 without prejudice to the rights of the Department to prescribe / modify the limit of tendering.

SL. No	File No	Previous Enlistment Order No. & Date	Name & Address
1.	59(05)(IV) /ADG (RBH)	(i) CE(CZ) order no. 18 (Civil) of 2013 issued vide 59(11)/2013/CE (CZ)/155 dt 21.11.2013 . (ii) Modification of tendering limit and change of category to composite vide CE(CZ) letter No. 59(11)/ CE(CZ) / Budget/2015-16/2833 dt 06/10/2015 valid upto 31.03.2018 (iii) Validity extension upto 31.03.2020 vide CE(CZ) letter no 59(1)/CE(CZ)/Budget /2018/1056-H dt 28/03/2018. (iv) vide DG OM No. DG/SE /CM/ ENLIST. RULES/ Misc. / 21 dated 29.05.2020 Validity extended till **31.12.2021**	**M/s Saath Group** Constitution : Partnership Firm **Registered Address** :- S-9, Gurukripa Complex, Plot No. 9-10, Zone-I , M.P Nagar, Bhopal. **Email:**manishbankey@gmail.com; saath group@gmail.com **Mobile/Telephone no:** +91- 9425673154, 9425017603

Photographs of Partners

Manish Bankey	**Shoubhit Mitra**

23.9.21
अधीक्षण अभियंता(वै)(कार्य एवं त.वि.गु.आ.)

2.(क) उन्हें निविदा आमंत्रण सूचना की शर्तों और निबधनों के अनुसार प्रत्येक निविदा आवेदन के साथ बयाना राशि जमा करनी होगी।

(ख) प्रतिभूति निक्षेप की वसूली उनके बिलों से समय–समय पर लागू नियमों के अनुसार की जाएगी।

(a) They shall be required to deposit earnest money with each application of the tender as per terms and conditions of the notice inviting tenders.

(b) Security Deposit will be recovered from their bills in accordance with the rules in force from time to time.

3 वे प्रत्येक संविदा / करार के निबंधनों एवं शर्तो के अनुसार अपेक्षित तकनीकी स्टॉफ का नियोजन और / या औजारों एवं संयंत्रो की व्यव्स्था करेंगे।

They shall employ the required technical staff and / or tools and plants as per the terms and conditions of each contract / agreement.

4. इस श्रेणी में सूचीबद्ध ठेकेदारों/फर्म/कंपनी के पास वैध वैघुत लाइसेंस रखना चाहिये या उसको (वैघुत लाइसेंस) रखनेवाली संस्था के साथ संधिबद्ध होना चाहिए।

Contractors/Firm/Company enlisted in this category should either possess valid electrical license or be associated with an Agency having valid electrical license.

5. उन्हें निविदा आमंत्रण सूचना संविदा/करार के निबंधनों एवं शर्तों का पालन ज्यों का त्यों अथवा समय समय पर किए गए परिवर्तन के अनुसार करना होगा।

They shall have to abide by the terms and conditions of the NIT/Contract/Agreement as they stand or as may be altered from time to time.

6. सूचीबद्ध साझेदारी फर्म मौजूदा साझेदारी को संशोधित नहीं करेगी या सूची प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना साझेदारी में प्रवेश करेगी। इस तरह की पूर्व स्वीकृति के लिए आवदेन को संशोधित भागीदारी, मसौदा साझेदारी विलेख और उसमें उल्लिखित अन्य दस्तावेजों के पूर्ण विवरण के साथ अनुबंध के रूप में निर्धारित प्रपत्र VI सूचीबद्धता नियम 2021 में किया जायेगा। फर्म के संविधान में बदलाव को पंजीकरण के एक महीने के भीतर प्रर्वतन प्राधिकरण को सूचित किया जाए, ना कर पाने पर उनकी सूचीबद्धता निरस्त की जा सकती है।

The enlisted partnership firm shall not modify the existing partnership or enter into fresh partnership without the prior approval of the enlistment authority. Application for such prior approval shall be made in the form prescribed at Annexure VI in Enlistment Rules 2021 along with full details of the intended modified partnership, draft partnership deed and other documents mentioned therein. The change in the constitution of the firm shall be intimated to the enlistment authority within one month of the registration with the registrar of Firms, failing which the enlistment is liable to be cancelled.

7. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में जिन सूचीबद्ध ठेकेदारों के निकट रिश्तेदार किसी भी क्षमता मे मंडल/ परिमंडल / अंचल कार्यालय मे, जो ठेके देने और उसके निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं, उनमे कार्यों के लिए निविदा देने की आज्ञा नहीं होगी । इस नियम के उद्धेश्य के लिए निकट संबंधी का मतलब पति, पत्नी, माता–पिता, दादा–दादी, बच्चे, पोते, भाई, बहन, चाचा–चाची, चचेरे भाई और उनके संबंधित ससुराल वालें से होगा।

The enlisted contractors whose near relatives are employed in any capacity in the Central Public Works Department will not be allowed to tender for works if the Division or Circle or Zone responsible for award and execution of contract is the one where the near relative is working. For this purpose of this Rule, a near relative shall mean wife, husband, parents, grandparents, children, grandchildren, brothers, sisters, uncles, aunts, cousins and their corresponding in laws.

8. इस आदेश द्वारा अधिसूचित पुन : वैधीकरण आदेश पॉच वर्ष तक वैध होगा एवं वर्तमान अधिसूचना आदेश की वैधता की तारीख या पुन : वैधीकरण की तारीख जो भी बाद में होगी, से लागू होगा। सूचीबद्ध ठेकेदार किसी भी समय पुन : वैधीकरण के लिय आवेदन दे सकते हैं परन्तु वर्तमान अधिसूचना आदेश की वैधता के बाद नहीं। सूचीबद्ध ठेकेदारों को सलाह दी जाती है, कि वे पुन : वैधीकरण का आवेदन सूचीबद्धता के समाप्त होने वाली तारीख से लगभग 6 महीने पूर्व देवें । सूचीबद्धता एवं पुन : वैधीकरण के नियम समान है।

23-9-21

अधीक्षण अभियंता(वै)(कार्य एवं त.वि.गु.आ.)

The re-validation notified in this order is valid for a period of **5 (Five) years and shall be effective from the date of expiry of existing enlistment or date of re-validation whichever is later**. The enlisted contractor may apply for re-validation at any time but not after expiry of current enlistment. Enlisted contractors are advised to apply for re-validation about six months prior to expiry of their enlistment order. The rules for enlistment and re-validation are the same.

9. उन्हें विभाग में पर्याप्त मात्रा में कार्य प्राप्त करना / निविदा में भागीदारी अपेक्षित है। यदि वे सूचीकरण अवधि के दौरान किसी भी निविदा में भागीदारी नही करते है तो उनका पुनः वैधीकरण का आवेदन निरस्त भी किया जा सकता है।

The contractors are expected to bid for works of appropriate magnitude during the enlistment period. Their application for re-validation may be rejected if they persistently fail to bid for any CPWD works during the enlistment period of 5 years.

10. अपने पते (पंजीकृत/प्रधान कार्यालय) में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने से पूर्व अथवा अधिकतम एक माह की अवधि के भीतर, वे इस सम्बन्ध में सूचित करेंगें, जिसके साथ इस बावत् बैंक , आयकर विभाग , बिक्री कर प्राधिकर्ता, आदि को भी अवगत कराने की पावती संलग्न हो। यदि वे इस परिवर्तन की जानकारी सुचीकरण प्राधिकारी को नहीं देते है तो उनका नाम ठेकेदारों की अनुमोदित सूची से हटा दिया जाएगा।

They shall also intimate the change in their address (Registered Office/ Head Office) if any, in advance or maximum within one month of such change along with acknowledgement of noting down of such change in address from the Bank, Income Tax, GST authorities etc. In case they fail to intimate such change to the Enlistment authority, their name shall be liable to be removed from the approved list of contractors of this Department.

11 वे विभाग के सूचीकरण नियमों , समय समय पर यथा संशोधित, के प्रति आबद्ध रहेंगे।
They shall abide by the Contractor Enlistment Rules in the department as amended from time to time.

टिप्पणी : उपरोक्त प्रावधानों के हिन्दी एवं अंग्रेजी रूपान्तरण में भिन्नता होने की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रावधान मान्य होंगे ।

Note:- **In case of any discrepancy in Hindi and English version, English version shall prevail.**

अधीक्षण अभियंता(वै)(कार्य एवं त.वि.गु.आ.),
कार्यालय अपर महानिदेशक, क्षेत्र भोपाल,
के.लो.नि.वि., भोपाल।

प्रति, (हार्ड कॉपी व इमेल दव्ारा)
1. M/s Saath Group
Registered Address :- S-9, Gurukripa Complex, Plot No. 9-10, Zone-I , M.P Nagar, Bhopal- 462011.
Email:manishbankey@gmail.com; saath group@gmail.com

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य अभियंता , के.लो.नि.वि भोपाल, नागपुर , रायपुर
   अधीक्षण अभियंता, के.लो.नि.वि, इंदौर, ग्वालियर , बलासपुर, भोपाल ,
   अधीक्षण अभियंता भो.परियो.परि–1, भो.परियो.परि–2
   } केवल इमेल दव्ारा
2. Individual file
3. CPWD Website.

23-9-21

अधीक्षण अभियंता(वै)(कार्य एवं त.वि.गु.आ.),
कार्यालय अपर महानिदेशक, क्षेत्र भोपाल,
के.लो.नि.वि., भोपाल।

23/9